भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1534

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात प्रणाली में अनुपालन की सुगमता

1534. श्री के. ई. प्रकाशः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशेष रुप में विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन पर बढ़ते ध्यान को देखते हुए निर्यात प्रणाली में पारदर्शिता और अनुपालन में सुगमता लाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) क्या न्यूनतम पूंजी वाले छोटे व्यवसायों को तृतीय–पक्ष निर्यातकों या व्यापारिक निर्यातकों के माध्यम से अपने वितरण की पहुँच का विस्तार करने में सुविधा प्रदान करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त व्यवसायों को समर्थन देने के लिए डिज़ाइन की गई किसी भी सरलीकृत प्रक्रिया, प्रोत्साहन या डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या कृषि–आधारित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रुप से इरोड जैसे कृषि–केंद्रित क्षेत्रों में निर्यातकों की सुविधा के लिए कोई विशिष्ट पहल की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) सरकार ने निर्यात प्रणाली में पारदर्शिता, अनुपालन की सहजता को बढ़ावा देने और विशेष रूप से एमएसएमई और न्यूनतम पूंजी वाले छोटे व्यवसायों से निर्यातों को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(i) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने विदेश व्यापार प्रक्रियाओं को सरल और आधुनिक बनाने के लिए कई डिजिटल सुधार शुरु किए हैं। डीजीएफटी पोर्टल अग्रिम प्राधिकार–पत्र, निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुओं (ईपीसीजी), और स्तर धारक प्रमाणन सहित विभिन्न विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) लाभों के लिए निर्बाध ऑनलाइन आवेदन और अनुमोदन को सक्षम बनाता है। पोर्टल को कुशल डेटा वैधीकरण और प्रसंस्करण के लिए आइसगेट, जीएसटीएन, एमसीए और पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया गया है।

(ii) डीजीएफटी द्वारा की गई अन्य प्रमुख पहलों में ईबीआरसी के लिए स्व–प्रमाणन तंत्र और डिजिटलीकृत ई–उद्गम प्रमाण पत्र (ईसीओओ 2.0) प्रणाली शामिल हैं, जो वास्तविक समय प्रमाणीकरण को सक्षम बनाती है और मैनुअल बोझ को कम करती है। संशोधित ई–उद्गम प्रमाण पत्र (ईसीओओ) 2.0 प्रणाली, जो अधिमान्य और गैर–अधिमान्य दोनों सीओओ के लिए प्रचालन में है, क्यूआर कोड और आधार–आधारित ई–हस्ताक्षर के साथ शुरु से अंत तक डिजिटल निर्गमन में सक्षम बनाती है। यह निर्यातकों को जारीकर्ता एजेंसियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है,जिससे प्रमाणीकरण और सेवा प्रदान करने में सुधार होता है।

(iii) भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने ट्रेड कनेक्ट ई–प्लेटफॉर्म (https://www.trade.gov.in/) भी शुरु किया है, जो व्यापारिक प्रश्नों के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बढ़ाने के लिए एक वन–स्टॉप इंटरफेस है। ई–प्लेटफॉर्म की प्रमुख विशेषताओं में एफटीए लाभों का आकलन करने के लिए व्यापार समझौते और प्रावधानों के बारे में सूचना सहित टैरिफ एक्सप्लोरर, बाजार पहुँच और अनुपालन संबंधी जानकारी के लिए देश और उत्पाद मार्गदर्शिकाएँ, एक वैश्विक ई–कॉमर्स गाइड और दुनिया भर में व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस प्लेटफॉर्म में एक्जिम पाठशाला (शिक्षण मॉड्यूल), व्यापार संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए "आस्क ऐन एक्सडपर्ट" सुविधा, विदेशी खरीददारों को सत्यापित भारतीय निर्यातकों से जोड़ने के लिए "सोर्स फ्रॉम इंडिया" डिस्कवरी टूल और भारतीय निर्यातकों के लिए एकीकृत उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने की प्रणाली भी शामिल है।

(iv) इसके अलावा, हितधारकों के बीच संवाद को मजबूत करने के क्रम में, मंत्रालय ने जन–सुनवाई सुविधा शुरू की है, जो एक डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म है जो निर्यातकों और सरकारी अधिकारियों के बीच माँग करने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली वास्तविक समय पर शिकायतों का समाधान, अधिकारियों तक सीधी पहुँच सुनिश्चित करती है और ऑडिट ट्रेल्स के माध्यम से पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।

(v) इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 4 और अध्याय 5 के अंतर्गत निर्यात संवर्धन स्कीम के लाभ सभी पात्र निर्यातकों के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें छोटे व्यवसाय, तृतीय–पक्ष निर्यातक और व्यापारी निर्यातक शामिल हैं। इसलिए, ऐसी इकाईयों के लिए समावेशी पहुंच और अनुपालन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कई सहायक उपाय शुरू किए हैं। इनमें अग्रिम प्राधिकार–पत्र और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएँ (ईपीसीजी) जैसी स्कीमों निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत के लाभों के लिए आवेदन करने वाले एमएसएमई के लिए कम आवेदन शुल्क शामिल हैं।

(vi) निर्यात बंधु स्कीम, डीजीएफटी की एक प्रमुख आउटरीच पहल है, जिसका उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों को उनके समूचे निर्यात कार्य के दौरान विशेषज्ञ मार्गदर्शन, परामर्श और सहायता प्रदान करके उन्हें सहयोग देना और सशक्त बनाना है। इस स्कीम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके प्रवेश को सुगम बनाना और भारत की समग्र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

इन पहलों से छोटे निर्यातकों के लिए पहुंच बढ़ी है और साथ ही प्रक्रियागत बोझ और मानवीय हस्तक्षेप में कमी आई है।

(घ) सरकार ने इरोड जैसे कृषि–केंद्रित क्षेत्रों के निर्यातकों सहित सभी प्रकार के निर्यातकों के लिए निर्यात प्रणाली में अनुपालन को आसान बनाने के उपाय किए हैं। एफटीपी 2023 के अध्याय 3 के अंतर्गत निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास पहल, देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं (जीआइ उत्पादों, कृषि समूहों और खिलौना समूहों सहित) की पहचान करती है। निर्यात संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करने और जिलों में निर्यात वृद्धि की बाधाओं को दूर करने के लिए देश के सभी जिलों में राज्य/संघ–राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र बनाया गया है।

*****